



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अप्रैल 2021—वैशाख 4, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2021

क्र. एफ-35-115-2006-सी-एक.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश के सिंगरौली, अलीराजपुर, अगर-मालवा एवं निवाड़ी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन करती है, अर्थात्:—

1. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	-	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, जिला पंचायत	-	सह-अध्यक्ष
3. महापौर, नगरपालिका निगम (जिले में नगरपालिका निगम होने की दशा में)	-	सह-अध्यक्ष
4. पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
8. अपर जिला दण्डाधिकारी	-	सदस्य-सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.